

1750

प्रारूप सात  
(नियम 11 देखिए)

018-2826

17/12/21

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रं. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. सोसाइटी का नाम और पूरा पता : **श्रीलाल बापू शिक्षा प्रसार एवं समाज**

**कल्याण समिति**

ग्राम व पोस्ट काशीपुर बडोखर मुरैना जिला मुरैना (म.प्र.)

2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख : पंजीयन क्रं. 7545 दि. 27 जुलाई 2002

3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मेलन दिनांक **15.11.2021**  
की तारीख

4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची : कार्यकाल तारीख 05.06.2020 से 04.06.2023

क्रं.	नाम पदाधिकारी, पिता/पति का नाम	पूर्णपता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	श्री राधेश्याम शर्मा (आर.एस. शर्मा)	मेन रोड महावीरपुरा मुरैना जिला मुरैना (म.प्र.)	अध्यक्ष	सेवानिवृत्त	
2.	श्री रामेश्वर उपाध्याय	मधुपुरी कॉलोनी अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र.)	उपाध्यक्ष	रिटा. लैक्चरार	
3.	श्री देवेन्द्र डण्डौतिया	मेन रोड महावीरपुरा मुरैना जिला मुरैना (म.प्र.)	सचिव	समाजसेवा	
4.	श्री विजय डण्डौतिया	ग्राम व पोस्ट लालोरकलां जिला मुरैना (म.प्र.)	कोषाध्यक्ष	इंजीनियर	
5.	श्री गोपाल डण्डौतिया	ग्राम व पोस्ट लालोरकलां जिला मुरैना (म.प्र.)	संयुक्तसचिव	समाजसेवा	
6.	श्री हरीबक्स सिंह (एच.वी. सिंह)	जौरा खुर्द जौरा रोड मुरैना जिला मुरैना (म.प्र.)	सदस्य	रिटा. अपर कलेक्टर	
7.	श्री साबीर हुसैन	कोटेश्वर मंदिर के पास घासमण्डी ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.)	सदस्य	रिटा. कैप्टन आर्मी	
8.	श्रीमती मेघा शर्मा	जौरा खुर्द मुरैना जिला मुरैना (म.प्र.)	सदस्य	शिक्षणकार्य	

5. मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रं. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन

2080/- रु. की वार्षिक फीस, चालान, क्रमांक **SBIN0006159147514122021347472**

दिनांक **14.12.2021** के द्वारा जमा कर दी गई है। उसकी मूल प्रति संलग्न है।

**20000**  
**17/12/21**  
(बी.डी. कुबेर)  
असिस्टेंट रजिस्ट्रार  
सोसाइटी एवं सोसायटीज  
ग्वालियर (म.प्र.)

## घोषणा

मैं श्री देवेन्द्र डण्डौतिया पुत्र श्री शांतीलाल डण्डौतिया आयु लगभग ..... वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसाइटी के अभिलेख मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के आधिपत्य में है। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का उत्तरदायी रहूँगा।

100-110 प्रो. रॉ. रो. अ. डि. 1973  
धारा-29 के अन्तर्गत जारी नकल

हस्ताक्षर .....

नाम श्री देवेन्द्र डण्डौतिया  
सचिव

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA


INDIAN NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AY 185878

श्रीलाल बापू शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति  
जिला - मुँरैना (म.प्र.)

मध्य प्रदेश शासन अधिनियम 1973 की  
धारा-29 के अन्तर्गत जारी किया



पंजी.क्र. 7545  
दिनांक 21/07/2002

सरभा श्रीलाल बापू शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति  
7545 दिनांक 21/7/2002  
15/12/2002  
धारा 27 की प्रकृति में जारी किया गया है।  
धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की श्रेणी की वैधानिकता  
के संबंध में प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी है। कर्त्तव्य  
धारा 29 के तहत प्रकृति में जारी किया गया है।  
धारा 29 के तहत जारी किया गया है।

17/12/21  
शशि. रजिस्ट्रार,  
फार्म एवं संचालन,  
स्वायत्त शासन, मध्य प्रदेश